संख्या–वे0आ0–2– 1984 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा सामान्य कोटि के पदो के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग, प्रयोगशाला सहायक संवर्ग एवं पशुधन प्रसार अधिकारी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत रखे जायें।

(3) फार्म्स अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग के वर्ग–3 के पदों पर वर्तमान पदनाम एवं अर्हता के साथ उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 2400 तत्काल प्रभाव से निर्धारित किया जाय। साथ ही फार्म्स अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग के वर्ग–2 एवं वर्ग–1 के पदों का वर्तमान स्वरूप (पदनाम, अर्हता/भर्ती की प्रकिया, वेतनमान) यथावत् बनाये रखा जाय।

(4) विभाग में विद्यमान एक्स–रे टेक्नीशियन के पदों के लिए चिकित्सा विभाग के एक्स–रे टेक्नीशियन पदों के समान अर्हता व

भर्ती की विधि निर्धारित करते हुए इन पदों पर तत्काल प्रभाव से वहीं वेतनमान अनुमन्य कराया जाये जैसा कि चिकित्सा विभाग के एक्स–रे टेक्नीशियन पदों पर अनुमन्य है।

(5) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2–1984 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।